न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 54/2024

(GCMS: **2024/89**)

राज्य सरकार जरिये कविता, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

बनाम

विनोद पुत्र श्री शंकर लाल जाति नायक, आयु 22 वर्ष निवासी 6 टीके, रायसिंहनगर आधार संख्या 2901 6299 7335 तत्कालीन जिला अनूपगढ़ वर्तमान जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी विनोद के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :

स्टेट की ओर से श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 17.03.2024 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ ग्राम पंचायत 3 वाई तहसील गंगानगर के स्कूल के पास गश्त के दौरान मौड़ पर एक सफेद रंग पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 को रूकवाकर जांच की गई। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय विनोद पुत्र शंकर लाल जाति नायक आयु 22 वर्ष निवासी 6 टीके, रायसिंहनगर होना बताया तथा वाहन की आरसी से वाहन मालिक सूरज पाल सिंह पुत्र श्री तेजेन्द्र पाल सिंह निवासी वीपीओ 6 टीके, रायसिंहनगर दर्ज पाया गया। श्री विनोद पुत्र शंकर लाल की उपस्थिति में उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 की जांच की गई। मौके पर वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 को जांच करने पर वाहन में एक लोहे का टैंकर बना पाया गया। जिसमें 2450 लीटर डीजल भरा पाया गया। लोहे के टैंक के साथ एक डिस्पेसिंग यूनिट जुडी होना पाई गई। डि[illegible] सीधे डीजल डालने की सुविधा है अर्थात डिस्पेसिंग यूनिट [illegible] डीजल डाला जाता है। पूछताछ में विनोद ने बताया [illegible] खरीद कर रायसिंहनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यो में लगे वाहनो को बेचा जाता है। मौके पर विनोद द्वारा डीजल का बिल प्रस्तुत किया गया। बिल अनुसार डीजल की मात्रा 2450 लीटर है। बिल पर विनोद के हस्ताक्षर लिये गये तथा बिल पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वाहन संख्या भी अंकित है। मौके पर अप्रार्थी विनोद द्वारा पेट्रोल व डीजल के परिवहन / भण्डारण / बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र / परमिट आदि प्रस्तुत नहीं करने पर 2450 लीटर डीजल डिस्पेसिंग यूनिट लोहे का टेंक 80 लीटर पेट्रोल मय चार प्लास्टिक गैलन तथा इस कार्य में उपयोग में लिया जा रहा वाहन आरजे 13 जीसी 1034 को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर पेट्रोल व डीजल के सैम्पलिंग की कार्यवाही की गई। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार विनोद पुत्र श्री शंकर लाल जाति नायक आयु 22 वर्ष निवासी 6 टीके रायसिंहनगर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03(4) (6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034, डिस्पेसिंग यूनिट, बाद सैम्पलिंग बचा हुआ डीजल 2447.750 लीटर डीजल, एक लोहे का टैंक, चार प्लास्टिक के गैलन तथा बाद सैम्पलिंग बचा हुअ पेट्रोल 77.750 लीटर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया कि प्रार्थी वी.आर.सी. कंस्ट्रंक्शन (इण्डिया) प्रा.लि. पर वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 का ड्राईवर है। उक्त वाहन भारत माला परियोजना तक कार्यरत वाहनों को डीजल आपूर्ति का कार्य करता है । बरवक्त घटना प्रार्थी उक्त वाहन से वाहनों की आपूर्ति को डीजल ले जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाहन में दिनांक 17.03.2024 को नियमानुसार 2450 लीटर डीजल उसमानखेड़ा फिलिंग स्टेशन गांव गुमजाल (पंजाब) से बिल नम्बर 2418 दिनांक 17.03.2024 को उक्त वाहन में डलवाकर लाया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाहन में डीजल की परिवहन सुरक्षा हेतु वाहन में टैंक के साथ डिस्पेंसिंग यूनिट लगा रखा है जिसमें वाहन में मापकर डीजल डाला जा सके। उक्त डीजल अपने [illegible] के लिए लाया जा रहा था, किसी अन्य को विक्रय के लिए खरीद नहीं किया गया था और ना ही जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी को विक्रय करते पाया गया। **उक्त वाहन का पंजाब से परिवहन टैक्स भी जमा करवा रखा है।**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

6ए प्रकरण संख्या 54 / 2024
सरकार बनाम विनोद
(GCMS No. 2024/89)

उनका आगे यह भी कथन है कि बरवक्त घटना के उसी समय डीएसओ द्वारा एक अन्य वाहन को रूकवाया गया, जिसमें पेट्रोलियम परिवहन किया जा रहा था उकसे वाहन में रखे पेट्रोल को उतरवा लिया गया एवं उस वाहन के ड्राईवर एवं वाहन को रवाना कर दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा नियमानुसार 2500 लीटर से कम डीजल होने का कथन करने पर विरोध स्वरूप उक्त कैनियां प्रार्थी के वाहन पर रखकर फोटो खेंचे गये है। प्रार्थी द्वारा ना तो पेट्रोल लाया गया तथा ना ही प्रार्थी का पेट्रोल से सरोकार है, यदि प्रार्थी का पेट्रोल खरीद किया होता तो प्रार्थी के पास उक्त पेट्रोल के बिल अपने हित में आवश्य पेश किये जाते।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिस पर से वाहन में कैनियों को रखा हुआ प्रदर्शित किया गया है उस स्थिति में पेट्रोल की कैनियों का परिवहन किया ही नही जा सकता क्योंकि ना तो वे किसी रस्सी से बंधी हुई थी और ना ही सुरक्षित स्टेण्ड में थी, केवल मात्र फोटो खींचने के उद्देश्य से उन्हें वाहन में रखा गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाहन किसी कालाबाजारी में संलिप्त नहीं था बल्कि वीआरसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी पर भारत माला परियोजना में लगे वाहनों (जेसीबी) आदि में आपूर्ति के कार्य से लगा हुआ था एवं समय समय पर इस आपूर्ति हेतु नियमानुसार 2500 लीटर कम डीजल परिवहन किया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि परिवादी द्वारा न तो माप–तौल किया गया ना ही सैम्पल लेने की कार्यवाही नियमानुसार की गई। जो सैम्पल लेने की कार्यवाही नियमानुसार की गई वह विधि विरूद्ध है, जिसके कारण समस्त कार्यवाही दूषित श्रेणी में आती है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जब्तशुदा डीजल व वाहन को लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती [illegible] ने कथन किया कि अप्रार्थी मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों [illegible] करने हेतु After Thought जब्तशुदा 80 लीटर पेट्रोल को [illegible] है, जबकि अप्रार्थी विनोद स्वयं ने फर्द मौका व जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें कुल 2530 लीटर (80लीटर पेट्रोल + 2450 लीटर डीजल) स्वयं का होना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वह गांव गुमजाल(पंजाब) से डीजल लेकर आया है। अन्य राज्य से राजस्थान में डीजल लाने पर राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट भी देय बनता है, जो अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने अपने वाहन आरजे 13 जीसी 1034 में अप्रार्थी ने डिस्पेंसिंग यूनिट लगा रखी थी, जो वाहनों में नापकर डीजल / पेट्रोल को विक्रय करने हेतु लगा रखा था। जिसका अप्रार्थी ने कोई लाइसेंस या स्वीकृति पेश नहीं की है जबकि डिस्पेसिंग यूनिट को बिना लाईसेंस के नहीं लगाया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने अपने वाहन को वीआरसी कंस्ट्रंक्शन कम्पनी पर भारत माला परियोजना में लगे वाहनों (जेसीबी) आदि में आपूर्ति में कार्य हेतु लगाया जाना बताया है जबकि उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी कोई दस्तावेज / पत्र आदि नहीं पेश किया है जो यह साबित करता हो कि उक्त वाहन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उक्त वाहन आपूर्ति हेतु लगाया गया हो। इस प्रकार अप्रार्थी ने अपनी बहस में गलत कथन पेश किये है, इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा 2530 लीटर पेट्रोल एवं डीजल राजसात करने योग्य हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्ती के समय डीजल अप्रार्थी विनोद कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार कर, फर्द मौक मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे, अब अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु पेश किये है। जिससे **स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीजल / पेट्रोल का विक्रय के कार्य में लिप्त है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन व डीजल / पेट्रोल को राजसात किया जावे।**

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज, का भी ध्यानपूर्व अ[illegible]क 17.03.2024 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं [illegible] प्रवर्तन स्टाफ ग्राम पंचायत 3 वाई तहसील गंगानगर के [illegible] पर एक सफेद रंग पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 को [illegible]कवाकर जांच की गई। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय विनोद पुत्र शंकर लाल बताया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

	वाहन की आरसी से वाहन मालिक सूरज पाल सिंह पुत्र श्री तेजेन्द्र पाल सिंह के नाम दर्ज पाई गयी। श्री विनोद पुत्र शंकर लाल की उपस्थिति में उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 की जांच करने पर वाहन में एक लोहे का टैंकर बना पाया गया। जिसमें 2450 लीटर डीजल भरा पाया गया। लोहे के टैंक के साथ एक डिस्पेसिंग यूनिट जुडी होना पाई गई। डिस्पेसिंग यूनिट से किसी भी वाहन से सीधे डीजल डालने की सुविधा है अर्थात डिस्पेसिंग यूनिट से वाहनों में डीजल डाला जाता है। पूछताछ में विनोद ने बताया कि पंजाब से सस्ते दामों पर डीजल खरीद कर रायसिंहनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यो में लगे वाहनों को बेचा जाता है। मौके पर विनोद द्वारा डीजल का बिल प्रस्तुत किया गया। बिल अनुसार डीजल की मात्रा 2450 लीटर है। बिल पर विनोद के हस्ताक्षर लिये गये तथा बिल पर वाहन संख्या भी अंकित है। मौके पर अप्रार्थी विनोद द्वारा पेट्रोल व डीजल के परिवहन/भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट आदि प्रस्तुत नहीं करने पर 2450 लीटर डीजल डिस्पेसिंग यूनिट लोहे का टेंक 80 लीटर पेट्रोल मय चार प्लास्टिक गैलन तथा इस कार्य में उपयोग में लिये जा रहे वाहन आरजे 13 जीसी 1034 को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी विनोद कुमार द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन के कारण** , जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 मय सैम्पलिंग के पश्चात बचा हुआ 2447.750 लीटर डीजल एवं 77.750 लीटर पेट्रोल मय डिस्पेंसिंग यूनिट, एक लोहे का टैंक, चार प्लास्टिक के गैलन आदि को राजसात करने की प्रार्थना की है। **मोटर स्प्रिट और उच्च** वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है, इसलिए उक्त 2005 एवं 1999 के आदेश के प्रावधानों की अवहेलना होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 54 / 2024
सरकार बनाम विनोद
(GCMS No. 2024/89)

आवश्यक वस्तु अधिनियम **की धारा 14** के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी विनोद पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी विनोद पुत्र श्री शंकर लाल से सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 1034 मय 2447.750 लीटर डीजल व 77.750 लीटर पेट्रोल को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04** का उल्लंघन किया है।

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

> 2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order
>
> 2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the pro[illegible] this order, under the control of dealer or a[illegible]ner [illegible]on without valid sales documents issued by the [illegible]d oil company.
>
> 3(4) **No person other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling pro[illegible]**.
>
> 3(6) **No dealer, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice**.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

> 4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

उक्त के अतिरिक्त विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 का बिन्दु संख्या 12(2) पृष्ठ संख्या 187–188 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के मण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलिमय वर्ग क, 2500 लीटर अविपुट पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब व बहस में उक्त जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–1034 एवं 2447.750 लीटर डीजल जब्त होने से इंकार नहीं किया है बल्कि उक्त **पंजाब पैट्रोल पम्प** द्वारा एक साथ 2450 लीटर डीजल लाना स्वीकार किया है और 77.750 लीटर पेट्रोल को लाने से इंकार किया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–1034 के Transport Department, Rajasthan द्वारा जारी Permit in Respect of **Goods Permit (Light Goods Vehicle)** तथा **Region Covered – All Rajasthan** अंकित हैं, **जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त वाहन में पंजाब राज्य से पेट्रोल/डीजल के परिवहन हेतु प्रयोग में लिया जा रहा था।** इसीप्रकार अप्रार्थी ने उक्त वाहन में डिस्पेसिंग यूनिट लगाये जाने हेतु कोई लाईसेंस/दस्तावेज पेश नहीं किये है, **जबकि वाहन डिस्पेसिंग यूनिट लगाने हेतु लाईसेंस की आवश्यता होती है,** जबकि **अप्रार्थी के अधिवक्ता ने डिस्पेसिंग यूनिट लगाने हेतु किसी प्रकार के लाईसेंस/दस्तावेज पेश नहीं किये है।**

परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा., प्र.का.ई., हनुमानगढ़ ने भी अपने पत्र दिनांक 17.03.2026 से अवगत करवाया है कि भारा[illegible] द्वारा मैसर्स वी.आर.सी. एस आर हाईवेज प्रा.लि. को राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] के निर्माण कार्य का आवंटन किया गया था, अन्य समस्त मशीनरी, सामग्री, श्रम व अन्य वस्तुओं की व्यवस्था/आपूर्ति उक्त कम्पनी को अपने स्तर पर की जानी है अर्थात जब्तशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उक्त वाहन आरजे 13 जीसी 1034 हेतु **भारतीय राष्ट्रीय** राजमार्ग प्राधिकरण से **किसी प्रकार का कोई दस्तावेज/लाईसेंस जारी नहीं किया गया है।**

चूंकि उक्त अप्रार्थी से फर्द जब्ती के अनुसार विनोद से 2530 लीटर डीजल/पेट्रोल एवं वाहन में लगी डिस्पैंसिंग यूनिट आदि जब्त किया गया है और **उसके पास उक्त जब्तशुदा डीजल**/पेट्रोल **के** लिए कोई **वैद्य अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज नही है** जिसके आधार पर डीजल/पेट्रोल को अपने कब्जे में रख सके और परिवहन कर सके और न ही वाहन में डिस्पैसिंग यूनिट लगाने हेतु कोई लाईसेंस की प्रति पेश की है। **अप्रार्थी विनोद का इतनी बडी मात्रा में डिस्पैसिंग यूनिट के माध्यम से डीजल/पेट्रोल का परिवहन एवं विक्रय करना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त डीजल जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पिकअप वाहन में परिवहन करना अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की एवं** उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा डीजल व पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–1034 राजसात किये जाने योग्य है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04** का उल्लंघन करने के कारण, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13/ जीसी–1034 व 2447.750 लीटर डीजल (सैम्पलिंग के बाद शेष), 77.750 लीटर पेट्रोल(सैम्पलिंग के बाद शेष) मय लोहे का टैंक, चार प्लास्टिक के गैलन तथा डिस्पैसिंग यूनिट को राजसात करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6क के परन्तुक के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में **वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लगाया जा सकता है। माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश संख्या 01, श्रीगंगानगर की दाण्डिक अपील संख्या 12/2022, अनवान् कृष्ण कुमार बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 10.07.2023 एवं अपील संख्या 07/2022 अनवान पवन सोनी बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर, निर्णय दिनांक 25.08.2022 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एसबी क्रिमिनल पैटीशन संख्या 1405/2022 अनवान् नीतू सोनी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.05.2023 में भी ऐसा ही मत दिया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **6क. आवश्यक वस्तुओं का अधिहरण–**
>
> ....
>
> [परन्तुक यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने **के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।]**

चुंकि उक्त वाहन संख्या आरजे 13/ जीसी–1034 का अनुमानित **बाजार भाव 3.80/– लाख रूपये** है। **इसलिए** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के परन्तु एवं उक्त न्यायिक दृष्टातों के अनुसार **वाहन पर 2.00 /– लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है **व इसमें छिजत होने की संभावना होती है।** इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 2447.750 लीटर डीजल व 77.750 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये। अब उक्त राजसात किये गये 2447.750 लीटर डीजल एवं 77.750 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 54 / 2024
सरकार बनाम विनोद
(GCMS No. 2024/89)

	अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे। चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है। अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें। वैट अधिनियम की उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण की कार्यवाही से अलग रखा जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। जिला रसद अधिकारी एवं वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर आपस मे समन्वय रखें। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ़्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ. अमित यादव) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested